संख्या-42/2023/001/939/24-1-2023-3994/2015

प्रेषक

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना के अन्तर्गत आरईसी, नई दिल्ली द्वारा वितरण निगमों को सीधे अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1906/अधि०नि०(वित्त)/ निधि-11 / आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 13 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 नदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- 4801-06-190-06-30 में प्राविधानित धनराशि रुपये 315,00,00,000/- रुपये तीन सौ पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से धनराशि रुपये 28,07.196/- (रुपये अठ्ठाईस करोड़ सात लाखसतहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार लेखाशीर्ष 4801-06-190-0300-30 में पुनर्विनियोजित करते हुए प्रस्त मायोजन के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीक कार्य पर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोगइस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर
कारपोरेशन लि0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 [भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426 दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(9) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 28,07,77,796/- (रुपये अठ्ठाईस करोड सात लाख सतहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-ग्रामीण विद्युतीकरण 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम अंशपूँजी विनियोजन (के0-100,90 प्रतिशत अनुदान+10 प्रतिशत ऋण)-30- निवेश /ऋण के नाम डाला जायेगा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिए द्वारा अनुदान के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 27,23,33,466/- (रुपये सत्ताईस करोड़ तेईस लाख तैंतीस हजार चार सौ छांछठ मात्र) को लेखाशीर्षक- 0801- बिजली- 06-ग्रामीण विद्युतीकरण 800 अन्य प्राप्तियाँ- 01 - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियाँ मात्र के अन्तर्गत तथा शेष धनराशि रुपये 84,44,330/- (रुपये चौरासी लाख चौवालिस हजार तीन सौ तीस मात्र) लेखा शीर्षक- 6003-00109-09-0902 में जमा की जायेगी

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-10-196-X 2022-23, दिनांक 29 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहा है

सादर,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव

संख्या- 42/2023/001/939(1)/24-1-2023-3994-2015 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज - 2110011
3- महालेखाकारलेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज - 2110011
4. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 गार्ड बुक!

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव ।